

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।

क्रमांक:प.2/लेखा-2/बजट/2019-20 /

दिनांक:

समस्त उपनिदेशक,
आयुर्वेद विभाग

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 अन्तर्गत किराये के वाहन हेतु स्वीकृति/बजट आवंटन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत किराये के वाहन लिये जाने की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आपको औषधालयो/चिकित्सालयो के निरीक्षण एवं प्रभावी मोनीटरिंग हेतु बजट मद 2210-02-101-08-01 उपमद 36-वाहन किराया प्रतिबद्ध के अन्तर्गत निम्नानुसार वाहन किराये पर लेने हेतु प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज. जयपुर ने जारी की हैं। वाहन किराये पर रखने बाबत वांछित कार्यवाही यथा टेण्डर /अनुबंध वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.2(4)एफ.डी./एसपीएफसी/2017/दिनांक 19.07.18 एवं 28.02.2019 में दिये गये बिन्दुवार निर्देशों एवं व्यवस्था के अनुसार अमल में लायी जावे। निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारियो द्वारा आवंटित बजट सीमा में ही व्यय किया जाये। ये आदेश जारी दिनांक से प्रभावी होंगे।

| क.स. | आहरण वितरण अधिकारी का नाम | किसये पर वाहन लिये जाने की संख्या | राशि रु हजारों में |
|------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | उपनिदेशक अजमेर | 1 | 110 |
| 2. | उपनिदेशक नागौर | 1 | 110 |
| 3. | उपनिदेशक भीलवाडा | 1 | 110 |
| 4. | उपनिदेशक टोंक | 1 | 110 |
| 5. | उपनिदेशक जयपुर 'अ' क्षेत्र | 1 | 110 |
| 6. | उपनिदेशक जयपुर 'ब' क्षेत्र | 1 | 110 |
| 7. | उपनिदेशक अलवर | 1 | 110 |
| 8. | उपनिदेशक भरतपुर | 1 | 110 |
| 9. | उपनिदेशक धौलपुर | 1 | 110 |
| 10. | उपनिदेशक दौसा | 1 | 110 |
| 11. | उपनिदेशक झुन्झुनू | 1 | 110 |
| 12. | उपनिदेशक सीकर | 1 | 110 |
| 13. | उपनिदेशक जोधपुर | 1 | 110 |
| 14. | उपनिदेशक बाडमेर | 1 | 110 |
| 15. | उपनिदेशक जैसलमेर | 1 | 110 |
| 16. | उपनिदेशक जालौर | 1 | 110 |
| 17. | उपनिदेशक सिरोही | 1 | 110 |
| 18. | उपनिदेशक पाली | 1 | 110 |
| 19. | उपनिदेशक उदयपुर | 1 | 110 |
| 20. | उपनिदेशक बांसवाडा | 1 | 110 |
| 21. | उपनिदेशक वित्तौडगढ | 1 | 110 |
| 22. | उपनिदेशक डूंगरपुर | 1 | 110 |
| 23. | उपनिदेशक राजसमन्द | 1 | 110 |
| 24. | उपनिदेशक कोटा | 1 | 110 |

| क्र.स. | आहरण वितरण अधिकारी का नाम | किराये पर वाहन लिये जाने की संख्या | राशि रु हजारों में |
|--------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 25. | उपनिदेशक बून्दी | 1 | 110 |
| 26. | उपनिदेशक झालावाड | 1 | 110 |
| 27. | उपनिदेशक सवाई माधोपुर | 1 | 110 |
| 28. | उपनिदेशक बांरा | 1 | 110 |
| 29. | उपनिदेशक बीकानेर | 1 | 110 |
| 30. | उपनिदेशक चुरु | 1 | 110 |
| 31. | उपनिदेशक हनुमानगढ | 1 | 110 |
| 32. | उपनिदेशक श्रीगंगानगर | 1 | 110 |
| 33. | उपनिदेशक प्रतापगढ | 1 | 110 |
| 34. | उपनिदेशक करौली | 1 | 110 |

1. आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं करे किसी भी दशा में अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाएगा। अनावश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करे।
2. किराये के वाहन संबंधी कार्यवाही सा ले वि नियम एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत नियमानुसार की जावे।
3. कार्यालय को वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर कारण सहित तुरन्त निदेशालय को पत्र/दूरभाष द्वारा सूचित करें।

11
(स्नेहलता पंवार)
नि दे श क

क्रमांक:प.2/लेखा-2/बजट/2019-20 / 9504
प्रतिलिपि-

दिनांक: 17-6-19

1. प्रभारी कम्प्यूटर सैल को विभाग की वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।


मुख्यलेखाधिकारी